

22/01  
2024

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं  
भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बावत  
कोई कारण भी पेशा नहीं हुआ। बार-बार

आगत व प्रत्येक  
तरीखी सुबह  
आगत कि मरु  
मरु आर

आगत व प्रत्येक

आगत व प्रत्येक गरी। आगत यह यह पत्र  
आगत पैरबी आगत हाजरी में खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली निष्पत्ति में सुमार की जाकर  
जम्बर से काग हो तथा तरीख तकमिल  
होकर कागिपल दफ्तर हो।